राजस्थान सरकार
उर्जा विभाग

क्रमांक प 16(6)उर्जा/12 जयपुर, दिनांक 29.08.2015

OIC-Rev
2/9/15

जिला कलक्टर,
बांसवाडा

विषयः—सार्वजनिक प्रयोजनार्थ माही बांसवाडा न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट 4X700 मेगावाट परियोजना हेतु निजी खाते की अवाप्त योग्य भूमि का हितबद्ध व्यक्तियों को देय मुआवजा राशि के अवार्ड के अनुमोदन करने बाबत।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत आपके पत्र क्रमांक एफ 4 (4)राज/2014/ 3513—19 दिनांक 22 08.2015 के द्वारा प्राप्त अवार्ड माही बांसवाडा न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट 4X700 मेगावाट परियोजना हेतु तहसील छोटी सरवन, जिला बांसवाडा के ग्राम बारी, रेल, आडिभीत, कटूम्बी, सजवानिया व तहसील अम्बापुरा के ग्राम खाण्डियादेव की निजी खातेदारी अवाप्त योग्य भूमि 2684.16 बीघा जिसमें निजी खातेदारी एवं गैर खातेदारी भूमि सम्मिलित है, का हितबद्ध व्यक्तियों को देय मुआवजा राशि रूपये 4159352128/-- (अक्षरे रूपये चार अरब पन्द्रह करोड तिरानवे लाख बावन हजार एक सौ अठाइस मात्र) के अन्तिम अवार्ड का निदेशानुसार अनुमोदन किया जाता है।

अतः मूल अवार्ड संलग्न कर प्रेषित है।

भवदीय,

(गोपाल जसोरिया)
शासन उप सचिव

प्रतिलिपिः-- भूमि अवाप्ति अधिकारी (उप खण्ड अधिकारी) बांसवाडा को उनके द्वारा जिला कलक्टर बांसवाडा को प्रेषित पत्र क्रमांक 904—9 दिनांक 21.08.2015 के क्रम में प्रेषित है।

शासन उप सचिव

स्मरण पत्र

राजस्थान सरकार
ऊर्जा विभाग

क्रमांकः प.16(6)ऊर्जा/2012 जयपुर दिनांकः 25 MAY 20

उपखण्ड अधिकारी,
(भूमि अवाप्ति अधिकारी),
बांसवाड़ा।

विषयः – सार्वजनिक प्रयोजनार्थ माही बांसवाड़ा न्यूक्लियर पॉवर प्रोजेक्ट 4X700 मेगावाट परियोजना हेतु निजी खाते की अवाप्त योग्य भूमि का हितबद्ध व्यक्तियों को देय मुआवजा राशि के अवार्ड के संबंध में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत समसंख्यक पत्र दिनांक 10.05.2016 की ओर ध्यान आकर्षित कर निर्देशानुसार लेख है कि आपके पत्र क्रमांक अवाप्ति/2014/SP-1 दिनांक 25.04.2016 के क्रम में माही बांसवाड़ा न्यूक्लियर प्रोजेक्ट 4X700 के निर्माण हेतु भूमि के मुआवजा राशि परिशिष्ठ ''क'' और आरएण्डआर को विवरण परिशिष्ठ ''ख'' के अनुसार हितबद्ध व्यक्तियों को राशि भुगतान करने की राज्य सरकार की स्वीकृति निम्नांकित विवरण के अनुसार प्रदान की गई थीः-

		रूपयें
1.	भूमि के अवार्ड की मुआवजा राशि	2811021505/-
2.	पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन की मुआवजा	1342048000/-
3.	पुंजीगत मूल्य	200300/-
4.	कुल अवार्ड राशि	4153269805/-
5.	पूर्व में अनुमोदित अवार्ड की कुल राशि	4159352128/-
6.	शेष राशि	6082323/-

राज्य सरकार द्वारा अंतिम अनुमोदित अवार्ड की शेष राशि रू. 6082323/- (अक्षरे रूपयें साठ लाख बयासी हजार तीन सौ तेईस मात्र) भविष्य के लिये आवर्ड से सम्बन्धित किसी भी कार्य हेतु भूमि अवाप्ति अधिकारी के खाते में जमा रहेगी। राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित अंतिम अवार्ड की राशि में कोई परिवर्तन नहीं होगा।

उपरोक्तानुसार कार्यवाही कर राज्य सरकार को की गई कार्यवाही से अवगत कराने हेतु लिखा गया था जो लगभग एक वर्ष का समय व्यतीत हो जाने के उपरान्त भी की गई कार्यवाही रिपोर्ट आज तक अपेक्षित है।

अतः उपरोक्तानुसार ~~कार्यवाही कर~~ की गई कार्यवाही से अविलम्ब अवगत कराने का श्रम करें।

भवदीय,

(गोपाल जसोरिया)
शासन उप सचिव

प्रतिलिपिः- जिला कलक्टर, बांसवाडा को उनके पत्र क्रमांक 382 दिनांक 18.02.2016 के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु पुनः प्रेषित है।

शासन उप सचिव